दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित तिथि: 6 नवंबर, 2013
निर्णय तिथि: 6 जनवरी, 2014

<u>आप.अ. 738/2000</u>

अहमद सईद .....अपीलार्थी

द्वारा : श्री अरुण शर्मा सह श्री सलीम मलिक, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

कोरमः
श्री न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग

<u>न्या. एस.पी. गर्ग,</u>

1. अहमद सईद (अपीलार्थी) ने पुलिस स्टेशन राजौरी गार्डन में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 311/98 से उत्पन्न सत्र मामला सं. 15/98 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 07.06.2000 के निर्णय को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें भा.दं.सं. की धारा 498क/304ख के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था। 9 जून, 2000 के आदेश द्वारा, उसे भा.दं.सं. की धारा 304-ख के तहत सात साल के कठिन कारावास और भा.दं.सं. की धारा 498-क के तहत 500 रुपए जुर्माने सहित दो साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।

2. अपीलार्थी के खिलाफ आरोप थे कि वह अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी इशरत को उसके वैवाहिक घर में रहने के दौरान दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित मामलों में परेशान करता था। उसने 17/18-05-1998 की रात को आत्महत्या कर ली। इस संबंध में पुलिस स्टेशन राजौरी गार्डन में 18.05.1998 को सुबह 06.00 बजे दैनिक डायरी (डीडी) सं. 14/क दर्ज की गई। जांच के दौरान, तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498क/304-ख के तहत अपराध करने के लिए न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को दोषी साबित करने के लिए 15 साक्षियों की जांच की। 313 बयान में अपीलार्थी ने अपराध में अपनी संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि इशरत उदास रहती थी क्योंकि उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। साक्ष्यों की सराहना करने और पक्षकारगण के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को पहले उल्लेखित अपराधों के लिए दोषी ठहराया। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी अपील में आया है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेख की जांच की है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 17/18-05-1998 की मध्य रात्रि को इशरत की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर वैवाहिक

घर अर्थात एफ-143, रघुबीर नगर, दिल्ली में सामान्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य कारणों से जलने के कारण हुई थी। घटना से लगभग चार वर्ष पूर्व दोनों पक्षकारगण का विवाह हुआ था तथा इस विवाह से उसे कोई संतान नहीं हुई। यह अभिलेख पर आया है कि घटना से पूर्व मृतका या उसके माता-पिता द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध दहेज की मांग पूरी न करने के कारण उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। घटना से पूर्व उसे कभी भी शारीरिक क्षति पहुंचाई गई थी या नहीं, यह पता लगाने के लिए उसे कभी भी चिकित्सा जांच के लिए नहीं ले जाया गया। पोस्टमार्टम जांच के समय उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं देखे गए। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि अपीलार्थी के साथ उक्त परिसर में लगभग डेढ़ महीने तक रहने के दौरान दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था या उसे किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक यातना दी गई थी। पक्षकारगण के पड़ोस में रहने वाले अभि.सा.-1 (कमरुल इस्लाम) ने यह गवाही नहीं दी कि क्या अभियुक्त और मृतक के बीच संबंध तनावपूर्ण थे या अपीलार्थी द्वारा उसे कभी भी किसी तरह का उत्पीड़न या क्रूरता का सामना करना पड़ा था। अभि.सा.-2 (राम धन), मकान मालिक ने भी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रति परीक्षा में, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अभियुक्त को उक्त घर में रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते नहीं देखा

था। जांच अधिकारी ने यह पता लगाने के लिए किसी अन्य पड़ोसी की जांच नहीं की कि क्या अभियुक्त इशरत के साथ क्रूरता करता था या उसे कभी भी मारता-पीटता था। उन्होंने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया कि वे यह सत्यापित करने के लिए अभियुक्त के गांव नहीं गए थे कि मृतक वहां खुशी से रहती थी या नहीं। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि दहेज की मांग के कारण इशरत को कोई परेशान नहीं किया गया। निर्णय के पैरा (20) में की गई टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक है:-

> *"यद्यपि उपरोक्त परिस्थितियों से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त दहेज की मांग करता था, लेकिन इन परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त अपनी पत्नी से असंतुष्ट था और यद्यपि उसकी नई-नई शादी हुई थी, लेकिन उसने अपनी नवविवाहित पत्नी की आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास नहीं किया। अपनी पत्नी के प्रति उसके इस कठोर रवैये का कारण खोजना कठिन नहीं है, बेशक, अभियुक्त के ससुराल वाले बहुत संपन्न नहीं थे। वास्तव में, उनकी चार बेटियाँ और एक बेटा था और वे निम्न मध्यम आय वर्ग से थे और अपने कोल्हू में तिलहन की पेराई से निकाले गए तेल को बेचकर जो थोड़ी-बहुत आय होती थी, उसी पर निर्भर थे। मेरे विचार से, यह मामूली आय उनकी दैनिक माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी और इन परिस्थितियों में, अपनी बेटी की शादी में पर्याप्त दहेज देना उनके लिए संभव नहीं था। परिणामस्वरूप, अभियुक्त अपनी पत्नी द्वारा अपनी शादी में पर्याप्त दहेज न लाए जाने पर असंतुष्ट महसूस करता था। अभि.सा.-6 वहीदन और अभि.सा.-7 अब्दुल अजीज की*

गवाही से यह स्पष्ट था कि अभियुक्त स्कूटर, फ्रिज, टी.वी. और 50,000/- रुपए नकद की माँग करता था और जब वे उनकी माँग पूरी नहीं करते थे, तो वह उनकी बेटी की पिटाई करता था। दरअसल, मृतका की मां अभि.सा.-6 वहीदन ने स्पष्ट किया कि उसकी बेटी पर खरोंच और अन्य चोटें दिखाई देती थीं, जो अभियुक्त द्वारा की गई पिटाई के परिणामस्वरूप उसे लगी थीं। घटना से करीब डेढ़ महीने पहले अभियुक्त अपने ससुराल गया था और मृतका को अपने साथ ले गया था और उस समय उसने मृतका के माता-पिता को धमकी भी दी थी कि वह भविष्य में उनकी बेटी को उनके घर नहीं भेजेगा। शायद अभियुक्त अपनी दहेज की मांग पूरी करवाने के लिए बेताब था और जब वह ऐसा नहीं कर सका, तो उसने लड़की के माता-पिता को धमकी देकर ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की थी कि वह भविष्य में उनकी बेटी को उनके घर नहीं भेजेगा। यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त अपनी पत्नी को उसके माता-पिता के घर से अपने पैतृक स्थान हापुड़ ले गया था और उसके बाद वह उसे अपने घर रघुबीर नगर, दिल्ली ले गया था, जहां वह उसके साथ 25 दिनों तक रही थी। यद्यपि इस बात का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका कि इस अवधि के दौरान अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ कोई क्रूरता की थी या नहीं तथा यद्यपि अभियोक्ता-2 रामधन तथा अभियोक्ता-1 कमरुल इस्लाम, जो अभियुक्त के निकटतम पड़ोसी थे, ने अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल बात नहीं कही है तथा उन्होंने अभियुक्त को अपनी पत्नी के साथ झगड़ते नहीं देखा था, किन्तु अभियुक्त के आचरण से यह स्पष्ट है कि उसे अपनी पत्नी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी तथा शायद उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी की दुखद मृत्यु पर कोई पश्चाताप या पछतावा नहीं

हो रहा था। निस्संदेह, जब यह घटना घटी, तब अभियुक्त अपने घर की छत पर सो रहा था, किन्तु यह स्वाभाविक है कि जब उसकी पत्नी आग में घिरी होगी, तो वह अवश्य रोई होगी। प्राकृतिक परिस्थितियों में, वह अपनी पत्नी की चीखें सुनकर घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति होता। हालांकि, अभि.सा.-2 रामधन और अभि.सा.-1 कमरुल इस्लाम घर की छत से धुआं निकलता देख जाग गए थे, जो एस्बेस्टस शीट से बनी थी, लेकिन अभियुक्त सोता रहा, जबकि उसके पड़ोसी जाग गए और आग बुझाने की कोशिश की। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि अभियुक्त ने आग बुझाने या मदद के लिए चिल्लाने की कोई कोशिश नहीं की। तथ्य यह है कि मृतका के पूरे शरीर पर गहरे घाव थे और वह 100% जल चुकी थी, जिससे साफ पता चलता है कि वह काफी लंबे समय तक जलती रही और कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। हालाँकि, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि यह हत्या थी या नहीं, लेकिन ये परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से बताती हैं कि अभियुक्त को अपनी पत्नी के प्रति सामान्य उदासीनता थी और उसके दिल में उसके लिए बहुत कम सम्मान और आदर था। शायद, उसने अपनी पत्नी के प्रति घृणा विकसित कर ली थी, क्योंकि उसकी पत्नी उसके शराब पीने तथा किसी महिला के साथ अवैध संबंध रखने पर आपत्ति जताती थी, जिसे अभियुक्त सहन नहीं कर पा रहा था। चूंकि मृतक की पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, वह गरीब परिवार से थी तथा पर्याप्त दहेज नहीं लाई थी, तथा चूंकि, उसने अपने पति को शराब पीने तथा व्यभिचारी पाया था, इसलिए शायद वह अपने पति के उक्त अनुचित व्यवहार को सहन नहीं पाई तथा उसके जानबूझकर किए गए दुराचार को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके कारण उसे

अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा, जिसे वह आकर्षण तथा खुशी से रहित पाती थी। परिणामस्वरूप, मेरी राय में, अभि.सा.-6 वहीदन, अभि.सा.-7 अब्दुल अजीज की गवाही तथा अभियुक्त के आचरण से यह स्पष्ट है कि उसने दहेज की मांग के संबंध में अपनी पत्नी पर क्रूरता की थी। चूंकि, मृतका की शादी के 7 वर्ष के भीतर दुखद मृत्यु हो गई थी, इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 (ख) के तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या की है। परिणामस्वरूप, मेरी राय में, अभियुक्त भा.दं.सं. की धारा 498 क सहित धारा 304-ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी था।"

4. उपरोक्त दर्ज निष्कर्षों के अवलोकन से यह पता चलता है कि विचारण न्यायालय को खुद भी यकीन नहीं था कि मृत्यु से ठीक पहले इशरत के साथ दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित क्रूरता की गई थी। आक्षेपित निर्णय शंकाओ और अनुमानों पर आधारित है। अभियोजन पक्ष को उसी मामले को साबित करना आवश्यक है जिस पर उसने आरोप लगाया है और न्यायालय अपनी राय को प्रतिस्थापित करके कोई नया मामला नहीं बना सकता। यह ध्यान देने योग्य है कि मृतक की छोटी बहन की शादी अभियुक्त के छोटे भाई से हुई थी और यह अभिलेख में आया है कि उसके साथ कभी क्रूरता नहीं की गई और वह वैवाहिक घर में खुशी से रह रही थी। अभियोजन पक्ष ने मृतक के गांव हापुड़ में रहने के दौरान अपीलार्थी के आचरण और मृतक के प्रति रवैये का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ नहीं की। दहेज

की मांग के बारे में आरोप अस्पष्ट, अनिर्दिष्ट और अनिश्चित हैं। इस बारे में कोई विशेष तारीख नहीं बताई गई है कि अपीलार्थी ने मृतक या उसके माता-पिता से कब दहेज की कोई वस्तु मांगी थी। अभि.सा.-7 (अब्दुल अजीज) ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया कि अभियुक्त ने इशरत को एक साल तक अच्छी तरह से रखा और उसके बाद उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। हालांकि, जांच एजेंसी यह नहीं बता सकी कि अपीलार्थी के किसके साथ अवैध संबंध थे और क्या यही कारण था कि मृतक ने यह कदम उठाया। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मृतक के माता-पिता अभि.सा.-6 (वहीदन) और अभि.सा.-7 (अब्दुल अजीज) की गवाही पर आधारित है, जिन्होंने मृतक के आत्महत्या करने के बाद ही आरोप लगाए हैं। इससे पहले, उन्होंने अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की थी। दिल्ली के रघुबीर नगर में रहने के दौरान उसके साथ क्रूरता नहीं की गई। जांच अधिकारी ने दहेज की मांग के कारण क्रूरता या उत्पीड़न को साबित करने के लिए हापुड़ में किसी साक्षी से पूछताछ नहीं की। बेशक, अपीलार्थी दिल्ली में अपनी नौकरी/सेवा करता था और मृतक घटना से लगभग डेढ़ महीने पहले दिल्ली जाने से पहले हापुड़ में रहता था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि क्रूरता और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध था। जांच अधिकारी ने आसपास

की परिस्थितियों को इकट्ठा नहीं किया, जिसने इशरत को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया। घटना के समय अपीलार्थी घर की छत पर सो रहा था। साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं आया है कि उसने उस समय इशरत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। इस भौतिक पहलू पर साक्ष्य की कमी है।

5. *'गंगुला मोहन रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य',* 2010 (1) एससीसी 750 मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां ध्यान देने योग्य हैं:

> *"**पश्चिम बंगाल राज्य** बनाम **ओरीलाल जायसवाल व अन्य**: (1994) 1 एससीसी 73 में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी है कि न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्यों का आकलन करने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पीड़िता के साथ की गई क्रूरता ने वास्तव में उसे आत्महत्या करके जीवन समाप्त करने के लिए प्रेरित किया था। यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि आत्महत्या करने वाला पीड़ित उस समाज में सामान्य रूप से होने वाले घरेलू जीवन में सामान्य चिड़चिड़ापन, कलह और मतभेद के प्रति अतिसंवेदनशील था, जिससे पीड़ित संबंधित था और ऐसी चिड़चिड़ापन, कलह और मतभेद से किसी दिए गए समाज में समान परिस्थितियों वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं थी, तो न्यायालय के विवेक को यह निष्कर्ष निकालने के लिए संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या*

के अपराध को उकसाने के अभियुक्त को दोषी पाया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाता है और उसे बरी किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। जमानत बांड और जमानत बांड को खारिज किया जाता है।

7. विचारण न्यायालय का अभिलेख तुरंत वापस भेजा जाए।

(एस.पी. गर्ग)
न्यायाधीश

06 जनवरी, 2014
एसए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।